राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.11(13)नविवि/बालेसर सत्ता/2023 जयपुर, दिनांकः– 07 AUG 2023

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर को बालेसर सत्ता (जिला–जोधपुर) के नगरीय क्षेत्र, जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं क्षितिज वर्ष–2043 तक के लिए मास्टर प्लान तैयार करने हेतु नियुक्त करती हैः–

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)	तहसील
1.	बालेसर सत्ता	BALESAR SATTA	बालेसर
2.	जलंधर नगर	JALANDHAR NAGAR	बालेसर
3.	पृथ्वीराज नगर	PARTHVIRAJ NAGAR	बालेसर
4.	अमृत नगर	AMRIT NAGAR	बालेसर
5.	उम्मेद नगर	UMMED NAGAR	बालेसर
6.	जैतसर	JAITSAR	बालेसर
7.	हिम्मत नगर	HIMMAT NAGAR	बालेसर
8.	जीवराज सिंह नगर	JIVRAJ SINGH NAGAR	बालेसर
9.	पेहप नगर	PEHAP NAGAR	बालेसर
10.	कुई जोधा	KUI JODHA	बालेसर
11.	कुई ईन्दा	KUI INDA	बालेसर
12.	सती माता नगर	SATI MATA NAGAR	बालेसर
13.	शहीद भंवरसिंह नगर	SAHID BHANWARSINGH NAGAR	बालेसर
14.	बालेसर दुर्गावता	BALESAR DURGAWATA	बालेसर
15.	खारी बेरी	KHARI BERI	बालेसर
16.	मेहोजी नगर	MEHOJI NAGAR	बालेसर
17.	चौथपुरा	CHOUTHPURA	बालेसर
18.	देवनगर	DEVNAGAR	बालेसर
19.	केरला नगर	KERLA NAGAR	बालेसर
20.	सूर्य नगर	SURYA NAGAR	बालेसर
21.	जोगराज नगर	JOGRAJ NAGAR	बालेसर

राज्यपाल की आज्ञा से,

sd

(संचिता बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।

2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, जोधपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक(पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बालेसर सत्ता (जिला–जोधपुर)।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक .08.2023 में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय